HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Civil Writ Petition No. 10759/2026
URN: CW / 23840U / 2026

Yogesh Yadav S/o Sh. Kajod Mal Yadav

----Petitioner

Versus

State Of Rajasthan

----Respondent

For Petitioner(s)	:	Mr. Akhil Simlote
For Respondent(s)	:	Mr. S.S.Naruka AAG with Mr. Anshuman Singh

---

HON'BLE MRS. JUSTICE SHUBHA MEHTA

Order

03/07/2026

विद्वान अधिवक्ता याची उपस्थित है। अयाचीगण की ओर से विद्वान अतिरिक्त महाधिवक्ता अग्रिम नोटिस पर उपस्थित हैं।

याचिकाकार के विद्वान अधिवक्ता को सुना गया। अयाचीगण को याचिका एवं स्थगन प्रार्थना–पत्र के **चार सप्ताह में वापसी योग्य** नोटिस जारी किए जावें।

अयाचीगण की ओर से विद्वान अतिरिक्त महाधिवक्ता नोटिस स्वीकार करते हैं, अतः औपचारिक नोटिस जारी किए जाने की आवश्यकता नहीं है।

याची के विद्वान अधिवक्ता उन्हें याचिका एवं स्थगन प्रार्थना–पत्र की प्रति आज ही उपलब्ध करावें।

अंतरिम स्थगन के सम्बन्ध में सुना गया।

याचिकाकार के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि उन्होंने पूर्व वाहन मारूती कार संख्या के पंजीयन संख्या आरपीआई 2620 को नई महिन्द्रा स्कॉर्पियो के पंजीयन संख्या से अदल–बदल (swap) करवाया और इस हेतु शुल्क भी जमा करा दिया। तत्पश्चात् एक सामान्य नोटिस समाचार पत्रों के माध्यम से जारी हुआ और अन्य वाहन स्वामियों के साथ–साथ याची को भी वाहन को भौतिक सत्यापन करने एवं दस्तावेज

प्रस्तुत करने के लिए निर्देशित किया गया। याची ने नये वाहन का भौतिक सत्यापन करवा लिया परंतु पुराना वाहन अधिकृत स्क्रैप सेण्टर पर स्क्रैप/जमा करवा दिया, जिसका प्रमाण–पत्र दिनांकित 21.01.2026 संलग्नक–8 के रूप में प्रस्तुत किया गया है। उसके उपरांत भी बिना किसी कारण के याची के वाहन का पंजीयन प्रादेशिक परिवहन अधिकारी जयपुर प्रथम द्वारा दिनांक 30.01.2026 के आदेश से निरस्त कर दिया गया जो सर्वथा विधि विरूद्ध है।

विचार किया गया।

प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुए इस आशय का अंतरिम आदेश आगामी तिथि तक दिया जाता है कि आलौच्य आदेश दिनांक 30.01.2026 जिसके द्वारा याची के वाहन पंजीयन संख्या आरपीआई 2620 चेसिस संख्या MA1TA2XM2N2N2A18105 एवं इंजन संख्या XMN4A12128 का पंजीकरण प्रमाण–पत्र निरस्त किया गया है, का प्रभाव और क्रियान्विति स्थगित रहेगी। साथ ही यह भी निर्देश दिया जाता है कि याची आगामी तिथि तक अपने इस वाहन का बेचान नहीं करेगा, परंतु यह स्पष्ट किया जाता है कि वह अपने जोखिम पर वाहन को लोक मार्ग पर चलाने के लिए स्वतंत्र रहेगा।

प्रकरण चार सप्ताह पश्चात् सूचीबद्ध हो।

(SHUBHA MEHTA),J

1/AJAY KUMAR SINGHAL/712